



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन, अं/धा 528 भा.ना.सु.सं., सं. 1051 वर्ष 2025

राजन मिश्रा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

एवं 3 अन्य

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: पुतू लाल मिश्रा, प्रिंस वर्मा

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: शा. अ.

न्यायालय सं. - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. 9 मार्च, 2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"1. आवेदक के अधिवक्ता और विद्वान् अ.शा.अ. को सुना।

2. वर्तमान आवेदन पॉक्सो वाद सं. 252/2025 (उ. प्र. राज्य बनाम संदीप मधेसिया एवं

एक अन्य) में पारित आक्षेपित समन आदेश 27.02.2025 को निरस्त करने, और भा.न्या.सं. की

धारा 61(2), 137(2), 140(3), 351(3), पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 और

अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम की धारा 3(2)(5क) के अधीन, प्र.सू.रि. सं. 0334 वर्ष 2024, पुलिस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थाना-राजेसुल्तानपुर, जिला-अंबेडकर नगर, से उत्पन्न आरोप-पत्र सं. 01/2025, दिनांक 28.01.2025 को भी, जहां तक यह वर्तमान आवेदक के विरुद्ध है, निरस्त करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. प्र.सूरि. के निबंधनों में, यह अभिकथित किया गया था कि सूचनाकर्ता की लगभग 16 वर्षीय पुत्री लापता थी, और गुड्डू नामक व्यक्ति पर आरोप अधिरोपित किए गए थे कि उसने पुत्री को बहलाया था। बाद में, पीड़िता पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुई थी और बयान दिया था कि वह अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से बाहर गई थी, क्योंकि उसके माता-पिता द्वारा उसे पीटा गया था। धारा 180, भा.ना.सु.सं. के अधीन किए गए पश्चात्कर्ती बयान में भी, पीड़िता ने कहा था कि वह अकेले ही बाहर गई थी और संदीप के साथ हैदराबाद गई थी, जहां वे दोनों एकसाथ रहे थे। पीड़िता ने चिकित्सा परीक्षण करवाने से इन्कार कर दिया था। तथापि, धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन किए गए बयान में, उसने पहली बार आवेदक का नाम लिया था कि वह उसके माता-पिता को मारने की धमकी के अधीन उसे अपनी बाइक पर ले गया था। बाद में, वह सह-अभियुक्त संदीप के साथ रही थी। आवेदक की प्रेरणा पर किसी गलत कार्य के कोई आरोप अधिरोपित नहीं किए गए थे।

4. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक का नाम धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन किए गए बयान से पूर्व किसी भी बयान में कभी नहीं आया था, और इस तथ्य पर भी कि पीड़िता अभिकथित रूप से मोटरसाइकिल से आजमगढ़ गई थी और उसके बाद सुल्तानपुर गई थी,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जहां वह स्वीकृत रूप से संदीप के साथ एक होटल में रही थी और उसके बाद दोनों ट्रेन से गए थे, आवेदक के विरुद्ध झूठे अभियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

5. नोटिस दिए जाने के बाद भी, विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

6. विरोधी पक्षकार सं. 2 को नया नोटिस जारी किया जाए। तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए

7. 24.03.2026 को सूचीबद्ध किया जाए, जिस दिनांक को, पु.अ. अंबेडकर नगर द्वारा एक उचित अधिकारी के माध्यम से विरोधी पक्षकार सं. 2 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

8. सूचीबद्ध किए जाने की अगली दिनांक तक, पॉक्सो वाद सं. 252/2025 (उ. प्र. राज्य बनाम संदीप मधेसिया एवं एक अन्य) में पारित समन आदेश दिनांक 27.02.2025 के अनुसरण में अग्रोतर कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

2. उसके अनुपालन में, परिवादी, नामतः श्याम चंद्र, और पीड़िता, नामतः अंकिता, उ.नि. गोविंद नारायण मिश्रा और महिला कांस्टेबल सुश्री आकांक्षा सिंह पु.था.- राजेसुल्तान, जिला- अंबेडकर नगर, के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पूछे जाने पर, परिवादी ने कहा है कि वह आवेदक के विरुद्ध वर्तमान अभियोजन पर बल दे रहा है। पीड़िता ने भी, जो इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी है, कहा है कि आवेदक द्वारा अपराध किया गया है और वह न्याय की मांग करती है।
4. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि अभिकथन गंभीर प्रकृति के हैं। धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन पीड़िता का बयान यथावत् बना हुआ है, जो आवेदक के विरुद्ध जाता है, और अभियोजन के वाद की सम्यक् रूप से पुष्टि करता है।
5. उपर्युक्त की दृष्टि से, यह न्यायालय वर्तमान आवेदन में कोई सार नहीं पाता है। तदनुसार, आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष उपयुक्त उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता देते हुए, इसे **खारिज** किया जाता है।
6. यह संप्रेक्षित करना अनावश्यक है कि यदि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्मुक्ति आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और विधि के अनुसार, शीघ्रता से विनिश्चित किया जाएगा।
7. आज उपस्थित विरोधी पक्षकारों और अधिकारियों की उपस्थिति से एतद्वारा छूट प्रदान की जाती है।

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

वी. सिन्हा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”